प्रधानमंत्री जी-वन योजना

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (1 Mar.)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मद्द को मंजूरी दे दी है।
- इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं, के लिए वित्तीय मद्द का प्रावधान है।

जी-वन योजना का विवरण

- इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मद्द दी जाएगी।
- **पहला चरण (2018-19 से 2022-23)**- इस अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मद्द दी जाएगी।
- **दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24)**- इस अवधि में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मद्द की व्यवस्था की गई है।
- परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मद्द करने का काम किया गया है। इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करने तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

उद्देश्य एवं लाभ

- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के सीएचजी मानक की प्राप्ति।
- बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
- दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।
- योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, ताकि वे ईबीपी कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सकें।

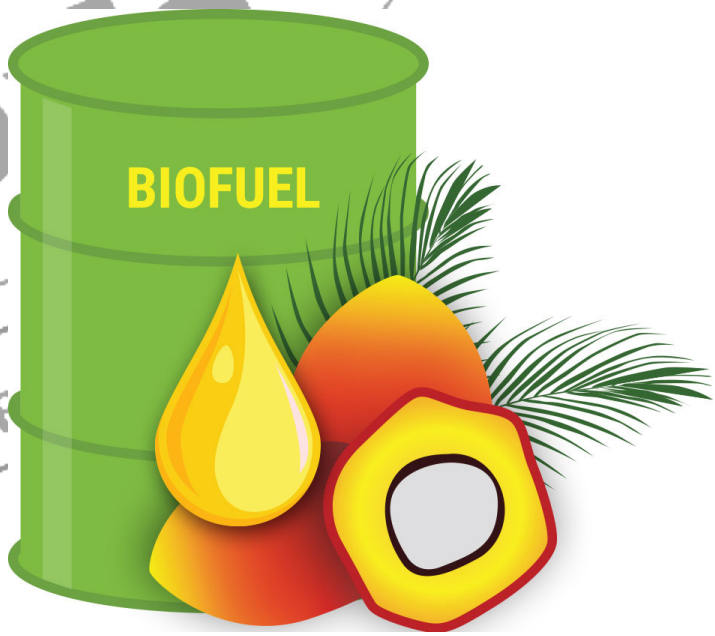

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है।

- वर्तमान में ईबीपी 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।
- मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीडस्टॉक उत्पादों; जैसे- सेलुलोसेस और लिग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

फेम इंडिया - II

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (1 Mar.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
- कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा 'फेम इंडिया वन' का विस्तारित संस्करण है। 'फेम इंडिया वन' योजना 01 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
- इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढाँचा विकसित करना है।
- यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

क्या है?

- बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर देना।
- इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, ऐसे खर्च को राज्य और शहरी परिवहन निगमों द्वारा दिया जाना।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वॉट और 4 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि देना।
- दो वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केन्द्रित रखना।
- इस योजना के तहत 2 वॉट वाले 10 लाख, 3 वॉट वाले 5 लाख, 4 वॉट वाले 55,000 वाहन और 7000 बसों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की योजना है।

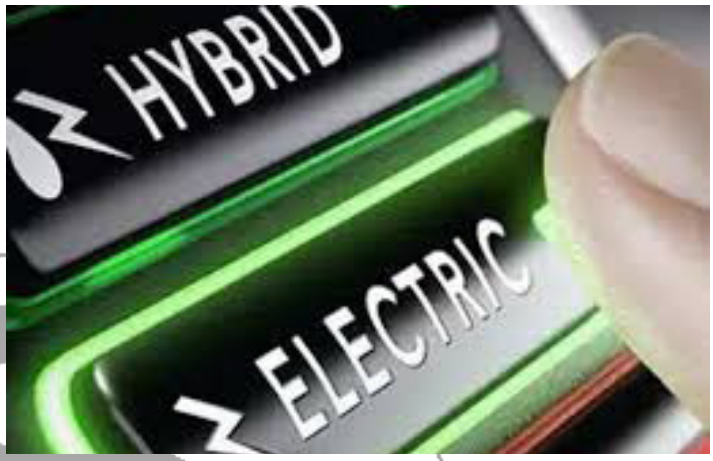

- नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयोन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैट्रियां लगाई गई हों।
- योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढाँचा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में तीन किलोमीटर के अंतराल में 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।
- बड़े शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।
- ऐसे राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।

आधार अध्यादेश को मंजूरी

इकोनॉमिक टाइम्स, (1 Mar.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार एक्ट, 2016 में संशोधन को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
- कैबिनेट ने आधार को स्वैच्छिक रूप से मोबाइल नंबर, बैंक खातों से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है।
- संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। आधार के नियम के मुताबिक बायोमेट्रिक डेटा का भंडारण गैरकानूनी है।
- लोकसभा ने 04 जनवरी, 2019 को इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया था लेकिन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। इसलिए अब सरकार यह अध्यादेश ला रही है।

मुख्य बिंदु

- टेलीग्राफ एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केवाईसी के लिए आधार स्वैच्छिक है। कोई भी कंपनी अगर आधार की जानकारी का इस्तेमाल करती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट और आधार एक्ट के तहत निजता मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा।
- इस अध्यादेश के आने के बाद कोई व्यक्ति जिसके पास आधार नहीं है, उसे किसी भी योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
- नए नियम के मुताबिक आधार एक्ट का अगर कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- नए अध्यादेश के मुताबिक, किशोरों को 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने समेत कई नए नियम लागू हो जाएंगे। इसमें आधार के इस्तेमाल और निजता के लिए तय नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।
- अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन या किसी अन्य ढंग से भौतिक या इलेक्ट्रानिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग के लिए उपबंध करना, आधार संख्या के ऑफलाइन सत्यापन का अधिप्रमाणन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है।

- अध्यादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड न देने पर किसी को भी किसी तरह की सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या मोबाइल फोन का सिम खरीदना हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर, 2018 को अपने फैसले में आधार कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अध्यादेश

इकोनॉमिक टाइम्स, (1 Mar.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश- 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
- इसके जरिये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा।

- मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्यम से संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) आदेश, 1954 में संशोधन के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
- इससे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद- 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

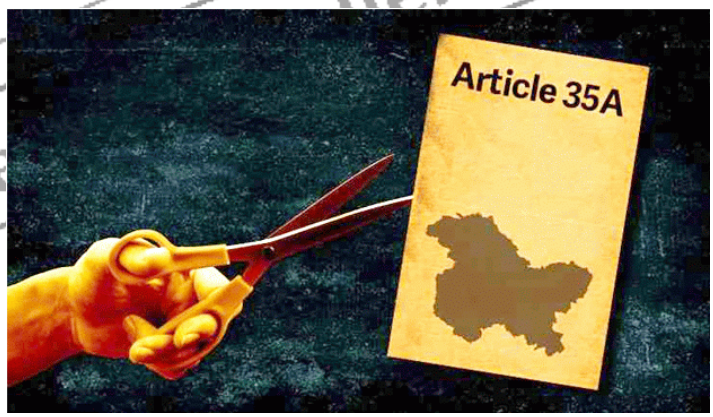

प्रभाव

- अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा जम्मू और कश्मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

- संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1955 को भारत के संविधान के अनुच्छेद-16 की धारा-4 के बाद धारा-4(ए) जोड़कर लागू किया गया।
- धारा-4(ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति लाभ देने का प्रावधान है।
- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है तथा जम्मू और कश्मीर तक अधिनियम के विस्तार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (1 Mar.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का 25वाँ सदस्य बनने के लिए मंजूरी प्रदान की गई।
- इसके अन्य सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- बायो-एनर्जी (आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी) संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

- इसका मुख्य कार्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले देशों के बीच सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है।
- आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में अनुसंधान एवं विकास कार्य सुपरिभाषित 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों को 'नियत कार्य' कहा जाता है।
- हर वर्ष इन नियत कार्यों की जाँच और मूल्यांकन किया जाता है तथा हर तीन वर्षों के दौरान नियत कार्य के विषय को दुरुस्त किया जाता है तथा नए नियत कार्य शुरू किये जाते हैं।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जिन नियत कार्यों में भाग लेता है, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं विपणन कंपनियों के तकनीकी व्यक्ति भी योगदान देते हैं।

उद्देश्य

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य उन्नत बायो ईंधन के विपणन को सुविधा देना है, ताकि उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और कच्चे तेल के आयात में कटौती हो सके।
- आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी बायो एनर्जी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और नीति-विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच भी प्रदान करता है।
- इस संबंध में बायो-एनर्जी प्रौद्योगिकियों के अल्प और दीर्घकालिक तैनाती के लिए पर्यावरण, संस्थागत, प्रौद्योगिकीय, सामाजिक और बाजार बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है।

सदस्यता का लाभ

- आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में भागीदारी करने के लाभ साझा लागत और तकनीकी संसाधनों में सहयोग हैं।
- प्रयासों का दोहराव नहीं होता और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं मजबूत होती हैं।
- उत्कृष्ट व्यवहारों, अनुसंधानकर्त्ताओं के नेटवर्क और व्यावहारिक कार्यान्वयन के साथ अनुसंधान के जुड़ाव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की संलिप्तता से मंत्रालय को बायो ईंधन सेक्टर में विश्व भर में होने वाले विकासों की जानकारी मिलती है।
- इसके कारण नवाचार कर्त्ताओं/ अनुसंधान कर्त्ताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत का अवसर मिलता है तथा उचित नीति ईको प्रणाली तैयार करने में मदद मिलती है।
- इसके अलावा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का सदस्य बनने से भारत अन्य संबंधित नियत कार्यों में हिस्सा ले सकता है, जिनका संबंध बायो गैस, ठोस कचरा प्रबंधन, बायो परिशोधन इत्यादि से है।
- इस संबंध में देश के अन्य मंत्रालय/ विभाग/ संगठन भी भाग ले सकते हैं।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'प्रधानमंत्री जी-वन योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके।
   2. वर्तमान में यह योजना 21 राज्यों और 4 संघशासित प्रदेशों में चलायी जा रही है।
   3. इस योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल में 5% तक इथेनॉल को मिलाना अनिवार्य है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. **'फेम इंडिया-II' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
   2. इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्ही वाहनों को दिया जायेगा जिनमें लिथियम आयोन व नई तकनीक वाली बैट्रियों का इस्तेमाल किया गया हो।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. **'आधार अध्यादेश' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. इस अध्यादेश के आने के बाद कोई व्यक्ति जिसके पास आधार नहीं है, उसे किसी भी योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
   2. नए अध्यादेश के अंतर्गत, किशोरों को 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने तथा निजता के तय नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. **जम्मू-कश्मीर आरक्षण अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. अधिसूचित होने पर यह अध्यादेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पदोन्नति लाभ सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।
   2. अनुच्छेद- 16 की धारा-4(ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति में लाभ देने का प्रावधान है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. **'आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. बायो-एनर्जी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
   2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का 25वाँ सदस्य बनने के लिए मंजूरी प्रदान की गई।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

नोट : 28 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b), 3(a), 4(c) होगा।